Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to increase the compensation amount given to the farmers for the crop loss in Rajasthan.

श्री हनुमान बेनीवाल (**नागौर**): अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह बेमौसम बरसात हुई थी तथा ओलावृष्टि से तमाम देश के अंदर राजस्थान सहित अरबों रुपये का नुकसान किसानों की फसलों का हुआ । भरतपुर के अंदर एक गांव में कर्ज से डूबे एक किसान ने आत्महत्या कर ली । पिछले साल अप्रैल में सरकार ने प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने वाले फसल के लिए किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई थी तथा मुआवजा पाने के दावे के नियम में ढील दी थी । अब सिंचित क्षेत्रों में मुआवजे की रकम 9000 से बढ़ाकर 13500 प्रति हेक्टेयर की गई है । लेकिन, प्रति किसान को दो हेक्टेयर जमीन से ज्यादा पर मुआवजा नहीं दिया जाता है । इस राइडर को हटाया जाए । मुआवजे की अधिकतम सीमा 27000 हो गई है, जो एक किसान की कुल लागत का 1/5 भाग है । ज्यादातर मामलों में यह रकम खाद, बीज या मजदूरी की लागत पूरी नहीं कर पाती है ।

इस प्राकृतिक आपदा से 70 प्रतिशत से अधिक किसानों की उपज का नुकसान राजस्थान में हुआ है, जिसमें चना, जीरा, इसबगोल, सरसों सहित कई फसलें नष्ट हो गई हैं ।